शोध पत्र-

Dec.-09—Jan.-2010

छत्तीसगढ़ के लोहा उद्योग में श्रम कल्याण योजनाओं पर श्रमिकों की संतुष्टि का अध्ययन

* डॉ. के. के. सिंह **डॉ. एस.वी.एस. चौहान

*श्रम निरीक्षक, ए-19 बाँबजी नगर, तिफरा, बिलसपुर (छ.ग.)
** विभागाध्यक्ष, समाज कार्य गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

किसी भी देश के समग्र विकास में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है । वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा स्वयं गुणवत्ता के बिना औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब उस उद्योग में सक्षम एवं कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध हो। उद्योगो में कार्यरत श्रमशक्ति को अधिक उत्पादक बनाने हेतु उसका कार्य के प्रति संतुष्ट होना अत्यन्त आवश्यक है। सर्व विदित तथ्य है, कि एक कार्यतुष्ट कर्मी अधिक उत्पादक होता है।

उपरोक्त सुविधाओं के प्रति श्रमिको के संतुष्टि को ज्ञात करने हेतु मेरे द्वारा ''छत्तीसगढ़ के लोहा उद्योग में श्रम कल्याण योजनाओं पर श्रमिकों की संतुष्टि का अध्ययन'' शीर्षक के अन्तर्गत चयनित इकाइयो में कार्यरत श्रमिकों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में वैधानिक एवं ऐच्छिक दोनो ही प्रकार के श्रम कल्याण योजनाओं का अध्ययन किया गया है । नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत का तीस प्रतिशत लौह अयस्क व लगभग तीस प्रतिशत स्पंज आयरन उद्योग छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित है। प्रस्तुत अध्ययन निश्चित ही छत्तीसगढ़ में लोहा उद्योगों में प्रदत्त श्रम कल्याण सुविधाओं पर श्रमिकों की संतुष्टि को ज्ञात करने मे सहायक सिद्ध होगा एवं भविष्य में शोधार्थियों हेतु शोध समस्या निरूपण में भी सहायक होगी।

1.शोध समस्या का निरूपण व शोध प्ररचना –

1.1 शोध समस्या का परिचय–_किसी भी देश का विकास औद्योगीकरण पर निर्भर करता है और औद्योगिक विकास में मानव, मशीन, माल, प्रबंधन, पूंजी आदि साधनों की भूमिका होती है, लेकिन उपरोक्त साधनों में मानव संसाधन ही मुख्य व सजीव साधन है, जिसका औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मशीन व कच्चे माल जैसे भौतिक घटकों का श्रेष्ठतम् उपयोग श्रमिकों पर निर्भर करता है। इसलिए श्रमिकों को अधिक उत्पादक, कुशल व दक्ष बनाने के लिए उनका संतुष्ट होना आवश्यक है। श्रमिकों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कुछ सुविधाएँ देना ही श्रम कल्याण सुविधाएं हैं। उद्योगों द्वारा श्रमिकों को श्रम कल्याण सुविधाएँ प्रदान करने से औद्योगिक विकास होने के साथ साथ श्रमिकों के मानसिक व शारीरिक विकास में भी वृद्धि होती है। प्रस्तुत अध्ययन का मूल उद्देश्य लोहा एवं इस्पात उद्योग में वैधानिक एवं ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन, श्रम कल्याण योजनाओं के बारे में श्रमिकों की जागरूकता व श्रमिकों की संतुष्टि का अध्ययन करना है।

1.2 शोध से सम्बन्धित अवधारणायें–अध्ययन के दौरान उपयोग में लाई गई विभिन्न अवधारणाओं एवं शब्दावलियों की व्याख्या निम्नानुसार की गई है –

1.2.1 श्रम कल्याण कार्य – श्रम कल्याण एक अत्यंत व्यापक शब्द एवं गतिशील विचारधारा है। इसकी विभिन्न देशों में औद्योगीकरण की मात्रा एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास के सामान्य स्तर के अनुसार विभिन्न परिभाषायें हो सकती हैं, लेकिन श्रम कल्याण कार्यो के अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्य ही समाहित है, जिनका मूल उद्देश्य श्रमिकों की मानसिक व शारीरिक उन्नति के साथ अर्थपूर्ण जीवन बनाना भी है। श्रम कल्याण योजनाओं का सम्बन्ध श्रमिकों के नैतिक, भौतिक कल्याण में किए जाने वाले कार्य से है। श्रम कल्याण कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक विकास का समावेश होता है। श्रम कल्याण कार्य का मूल उद्देश्य अंततः श्रमिकों का विकास व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। * लेखक द्वारा

लिखित शोध ग्रंथ ''छत्तीसगढ़ के लोहा एवं इस्पात उद्योग में श्रम कल्याण योजनायें एवं श्रमिकों संतुष्टि स्तर'' (बिलासपुर एवं रायपुर जिलों के विशेष संदर्भ में) का संक्षेपण है।

1.2.2श्रम कल्याण योजनाओं का वर्गीकरण – श्रम कल्याण योजनाओं के विभिन्न स्वरूप हैं। कुछ श्रम कल्याण योजनाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को लागू करना अनिवार्य होता है। श्रम कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है–

1.2.2.1वैधानिक श्रम कल्याण कार्य – ऐसे श्रम कल्याण कार्य, जिन्हें नियोजक पूरा करने के लिये बाध्य है, वैधानिक श्रम कल्याण कार्य कहा जाता है, जो निम्नलिखित है–

कारखाना अधिनियम 1948 में श्रम कल्याण कार्यो के प्रावधान– श्रमिक स्वस्थ मन से काम उसी परिस्थिति में कर सकता है, जब उसे काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा हो। उद्योग में संलग्न श्रमिकों को खतरनाक मशीनों पर कार्य करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन हमेशा जोखिम से भरा रहता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण श्रम कल्याण कार्यों की अनिवार्यता और नियोक्ताओं की उनके प्रति अरूचि को देखते हुए सन् 1948 में सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 का निर्माण किया गया। इस अधिनियम में धारा 42 से 50 तक श्रमिक कल्याण कार्यों का उल्लेख किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत –धुलाई की सुविधाएं, वस्त्रो के संचयन तथा सुखाने के लिए सुविधाएं, बैठने की सुविधाएं, प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सुविधाएं, कैण्टीन की सुविधा, विश्राम स्थल, आश्रय स्थल तथा भोजन कक्ष की सुविधाएं, शिशु गृह की सुविधा, श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की सुविधा, नियम बनाने का अधिकार व प्रावधान है।

1.2.2.2ऐच्छिक श्रम कल्याण कार्य– ऐसे श्रम कल्याण कार्य, जिन्हें नियोजकों द्वारा स्वेच्छा से प्रदान किया जाता है, ऐच्छिक श्रम कल्याण कार्य के नाम से जाने जाते है। इस श्रेणी के अन्तर्गत–बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधा, आवास की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, यातायात की सुविधा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, सुरक्षा की सुविधा आते हैं।

1.3 शोध परिकल्पना – शोध परिकल्पना सामान्यतः एक कार्यकारी तर्क वाक्य माना जाता है, जिसका अनुसंधान के द्वारा परीक्षण किया जाता है। वर्तमान शोध अध्ययन को दिशा प्रदान करने हेतु निम्न परिकल्पना की गई है – ''छत्तीसगढ़ के लोहा उद्योग में प्रदत्त श्रम कल्याण सुविधाओं से श्रमिक पूर्णतः संतुष्ट हैं।''

1.4 अध्ययन के उद्देश्य –(i) लोहा उद्योग में प्रदान की जा रही वैधानिक एवं ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं का अध्ययन करना। (ii) लोहा उद्योग में प्रदान की जा रही वैधानिक एवं ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं पर कार्यरत श्रमिकों के संतुष्टि को ज्ञात करना। (iii) लोहा उद्योग में प्रदान की जा रही वैधानिक एवं ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं के बारे में श्रमिकों की जागरूकता का अध्ययन करना। (iv) लोहा उद्योग में श्रम कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन का पता लगाना।

1.5अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन अपने शीर्षक ''छत्तीसगढ़ के लोहा उद्योग में श्रम कल्याण योजनाओं पर श्रमिकों की संतुष्टि का अध्ययन'' से भी अपने क्षेत्र का ज्ञान कराता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 16 जिले हैं । साथ ही ऐसी सभी इकाईयॉ कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत भी हैं। रायपुर जिले में लोहा (स्पंज आयरन) के 26 उद्योग कार्यरत हैं, जिसमें केवल 2 उद्योग अर्थात् रायपुर एलाय एण्ड स्टील प्रा.लि.सिलतरा रायपुर व मोनेट इस्पात, मंदिर हसौद रायपुर ही उक्त शर्तों को पूर्ण करते हैं, अतः उन्हें अध्ययन हेतु चयनित किया गया है। प्रत्येक चयनित इकाई से 60 श्रमिकों को प्रतिदर्शन हेतु चुना गया है। अध्ययन की संदर्भ अवधि लेखा वर्ष 2004–05 तक रही है।

1.6 अध्ययन की सार्थकता –इस अध्ययन द्वारा लोहा उद्योगों में कार्यरत श्रमिक श्रम कल्याण योजनाओं के बारे में कितना जागरूक एवं सजग हैं एवं नियोजकों द्वारा प्रदान की जा रही श्रम कल्याणकारी सुविधाओं से श्रमिकों की संतुष्टि को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

1.7 शोध प्ररचना – प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लोहा (स्पंज आयरन) की चयनित इकाइयों में श्रम कल्याण योजनाओं पर श्रमिकों की संतुष्टि को ज्ञात करना है। प्रस्तुत शोध कार्य में एक परिकल्पना का निरूपण किया गया था।

1.7.1 तथ्य संकलन के स्त्रोत – तथ्य संकलन के स्त्रोत निम्नलिखित हैं –

1.7.1.1प्राथमिक स्त्रोत– प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर प्रत्येक चयनित इकाई से 60 श्रमिकों का साक्षात्कार किया गया।

1.7.1.2द्वितीयक स्त्रोत–द्वितीयक स्त्रोत में शासकीय, अशासकीय, एवं कम्पनियों आदि के कार्यालयों के प्रकाशित व

अप्रकाशित पुस्तकें, पत्रिकाएं, अभिलेखों आदि से प्राप्त सामग्रियों व सूचनाओं को उपयोग में लाया गया है।

1.7.2 तथ्य संकलन विधि—तथ्य संकलन हेतु अवलोकन, साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया है। साक्षात्कार एवं अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक समंक स्त्रोतों से जानकारी इकट्ठा की गई। संरचित साक्षात्कारी अनुसूची का निर्माण किया गया।

2. अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक एवं औद्योगिक अधोसंरचना—

2.1 सामान्य परिचय—छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आवश्यकता है, उनके उचित संरक्षण, विकास तथा उपयोग की। प्रत्येक स्थान में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित साधन उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के आधार स्तम्भ होते हैं, जिन क्षेत्रों को प्रकृति ने ये साधन प्रदान किए हैं, उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की सीमाएं एवं सम्भावनाएं अधिक विस्तृत होती है।

2.2 छत्तीसगढ़, बिलासपुर व रायपुर की भौगोलिक एवं औद्योगिक अधोसंरचना—भारत के मध्य स्थित प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 नवम्बर 2000 से देश का 26 वां नया राज्य घोषित किया गया। अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक संसाधनयुक्त औद्योगिक अधोसंरचना के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

2.2.1 भौगोलिक स्थिति—छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति $17^0 46'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 15'$ पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है, जो 6 प्रदेशों से घिरा हुआ है,जिसका क्षेत्रफल 135194 वर्ग कि.मी. है, जिसकी उत्तर से दक्षिण तक की लम्बाई 640 कि.मी. व पूर्व से पश्चिम के बीच की चौड़ाई 336 कि.मी. है। इस प्रदेश के बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल 6376.761 वर्ग कि.मी. व रायपुर जिले का क्षेत्रफल 9372.89 वर्ग कि.मी. है।

3. लोहा एवं इस्पात उद्योग—

3.1 सामान्य परिचय —लोहा एवं इस्पात उद्योग हमारे समूचे औद्योगिक विकास का आधारशिला है। यह हमारी प्रगति का परिचायक है।

3.2 भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का इतिहास एवं विकास— भारत में लौह युग 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। 4000 वर्ष पहले पूर्व वैदिक काल में भारतीय लौह धातु से इस्पात बनाने की कला से भिज्ञ थे। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का संगठित उद्योग के रूप में जन्म एक शताब्दी पूर्व ही हुआ है। सन् 1847 में झरिया के पास बाराकर नदी पर कुलटी नामक स्थान पर एक ब्रिटिश संस्था द्वारा लोहा एवं इस्पात का प्रथम कारखाना खोला गया था, किंतु यह कारखाना इस्पात बनाने में असफल रहा। भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग के इतिहास में जमशेद जी नोशेरवान टाटा ने 1907 मे बिहार के सिंहभूमि जिले में सांकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नाम से एक कारखाना खोला। दूसरा कारखाना 1918 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नाम से बंगाल में आसनसोल के पास ही हीरापुर में खोला गया। इसके बाद 1923 में मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स नामक कारखाना भद्रावती में स्थापित किया गया। 1990 के बाद नवीन आर्थिक नीति की घोषणा के साथ ही भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योगों की संरचना में अमूल चूल परिवर्तन हुए।

3.3 छत्तीसगढ़ में लोहा एवं इस्पात उद्योग—छत्तीसगढ़ राज्य में लोहा एवं इस्पात उद्योग हेतु नैसर्गिक साधन उपलब्ध है। लोहा एवं इस्पात उद्योग प्रदेश का आधारभूत उद्योग है। छत्तीसगढ़ गठन के साथ इस क्षेत्र की चहुंमुखी सम्पन्नता के विशेष प्रयास किए गए हैं, वर्तमान में 70 लोहा एवं इस्पात उद्योग (स्पंज आयरन) लग चुके हैं।

3.4 बिलासपुर एवं रायपुर जिलों में लोहा एवं इस्पात उद्योग—बिलासपुर जिले में प्राचीन काल में भी अनेक उद्योग कार्यरत थे। वर्तमान में इस जिले में पंजीकृत लोहा इस्पात (स्पंज आयरन) उद्योगों की संख्या 05 है तथा अनेक उद्योग स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है। राज्य गठन से पूर्व, रायपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिला माना जाता रहा है वर्तमान में लोहा एवं इस्पात (स्पंज आयरन) के 26 इकाइया रायपुर जिले में स्थापित है।

4. चयनित इकाइयों की रूपरेखा—

4.1 सामान्य परिचय—बिलासपुर व रायपुर जिले के अन्तर्गत ऐसी लोहा एवं इस्पात इकाइयों का चयन किया गया है, जो विगत पांच वर्षों से अधिक अवधि से लौह अयस्क को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा परिष्कृत कर स्पंज आयरन का विनिर्माण करती है और उन पर कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान प्रभावशील होते हैं। बिलासपुर जिले में कुल 5 व रायपुर जिले मे 26 लोहा एवं इस्पात (स्पंज) उद्योग कार्यरत हैं।

4.2 चयनित इकाइयों की रूपरेखा –

4.2.1 नोवा आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि. दगौरी, बिलासपुर—यह संयंत्र बिलासपुर जिले का लोहा एवं इस्पात (स्पंज आयरन) का पहला संयंत्र है, जिसकी स्थापना 01 जून 1993 में श्री आर.के. गम्भीर द्वारा की गई, जिसकी उत्पादन क्षमता 150000.00 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है और 634 व्यक्तियों को प्रतिदिन रोजगार प्राप्त हो रहा है।

4.2.1.1 संयंत्र की भौगोलिक स्थिति –नोवा आयरन एण्ड स्टील, जिला बिलासपुर के बिल्हा तहसील के ग्राम दगौरी में स्थित है। यह संयंत्र दगोरी रेल्वे स्टेशन के पास व राष्ट्रीय राज्य मार्ग से 10 कि.मी. दूर है।

4.2.1.2 संगठनात्मक संरचना –नोवा आयरन एण्ड स्टील प्रा.लिमिटेड, दगोरी, बिलासपुर में कुल 639 कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत है, जिसमें 253 कर्मचारी/श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के व 355 कर्मचारी/श्रमिक ठेकेदारों के है।

4.2.2 रायपुर एलाय एण्ड स्टील प्रा.लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर–इस संयंत्र की स्थापना कमल सारडा द्वारा 20 जनवरी 1992 में 5006.00 लाख रूपये की लागत से सिलतरा, रायपुर में की गई थी, जिसकी उत्पादन क्षमता 60000.00 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

4.2.2.1 संयंत्र की भौगोलिक स्थिति–रायपुर एलाय एण्ड स्टील प्रा.लिमिटेड, रायपुर जिले के विकास खण्ड धरसींवा के अंतर्गत ग्राम सिलतरा में स्थित है, जो रायपुर नगर से 14 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग से 01 कि.मी. व रेल्वे स्टेशन से 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

4.2.2.2 संगठनात्मक संरचना–इस संयंत्र में कुल 400 कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत है, जिसमें 230 कर्मचारी/श्रमिक संयंत्र के व 170 श्रमिक/कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं। संयंत्र में 04 महिला कर्मचारी भी कार्यरत है।

4.2.3 मोनेट इस्पात प्रा.लिमिटेड मंदिर हसौद, रायपुर– 07 जनवरी वर्ष 1993 को मोनेट इस्पात संयंत्र की स्थापना श्री संदीप जाजोदिया द्वारा ग्राम मंदिर हसौद में की गई, जिसके स्थापना में 1594.20 लाख रूपये खर्च हुए। यह संयंत्र रायपुर नगर से 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जिसका उत्पादन क्षमता 100000.00 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

4.2.3.1 संयंत्र की भौगोलिक स्थिति–मोनेट इस्पात, रायपुर जिले के आरंग विकास खण्ड के ग्राम मंदिर हसौद में स्थित है, जो रायपुर से लगभग 16 कि.मी. दक्षिण पूर्व दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 06 पर स्थित है।

4.2.3.2 संगठनात्मक संरचना –इस संस्थान में कुल 184 कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत है, जिसमें 64 कर्मचारी/श्रमिक स्थाई है और 120 कर्मचारी/श्रमिक ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये गये हैं।

5. तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

5.1 सामान्य परिचय – इस भाग में, मेरे द्वारा चयनित इकाइयों (नोवा आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि, दगोरी, जिला बिलासपुर, रायपुर एलाय एण्ड स्टील प्रा.लि. सिलतरा, रायपुर व मोनेट इस्पात प्रा.लि., मंदिर हसौद, जिला रायपुर) के समग्र 180 प्रतिदर्शित श्रमिकों से सम्बन्धित संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं परिणामों की व्याख्या की गई है ।

5.2 श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारियों की तथ्यात्मक प्रस्तुति–इस भाग में, मेरे द्वारा प्रतिदर्शित श्रमिकों से सम्बन्धित प्राथमिक (व्यक्तिगत) जानकारियों को साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्न क्रमांक 01 से 13 तक से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारियों के तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या किया गया है। विश्लेषण एवं व्याख्या करने पर यह ज्ञात हुआ, कि तीनों इकाइयों के प्रतिदर्शित श्रमिकों की श्रेणी के अंतर्गत अकुशल श्रमिक 64 प्रतिशत, लिंग मे पुरूष 100 प्रतिशत, आयु में 31 से 40 वर्ष के बीच 68 प्रतिशत शिक्षा स्तर में प्रायमरी व हायर सेकेण्डरी की संख्या का प्रतिशत 77, विवाहित स्थिति में 81 प्रतिशत, विवाहित, मासिक आय 3000 से 6000 रूपये के बीच के श्रमिक 60 प्रतिशत सेवा अवधि 0 से 10 वर्ष के 63 प्रतिशत, पारिवारिक स्थिति में एकल परिवार 54 प्रतिशत, परिवार में सदस्यों की संख्या 0 से 4 के बीच 59 प्रतिशत और कुल मासिक आय में कमाने वालों 1 सदस्ययी है। जो तीनों उद्योगों में एकरूपता है।

5.3 श्रम कल्याण योजनाओं से सम्बन्धित जानकारियों का तथ्यात्मक प्रस्तुति– मेरे द्वारा प्रतिदर्शित 180 श्रमिकों से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारियों के आधार पर उनका वितरण प्रस्तुत किया गया है। इस भाग में, मेरे द्वारा श्रम कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं से सम्बन्धित श्रमिक वर्ग की साक्षात्कार अनुसूची में सूचीबद्ध प्रश्नों के अंतर्गत वैधानिक श्रम कल्याण योजना एवम् ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना से सम्बन्धित प्रदत्त सुविधाओं के बारे में पूछे गए प्रश्नों पर उनके द्वारा लिकर्ट माप पर एकत्रित अभिमतों का विश्लेषण कर, संतुष्टि को ज्ञात किया गया है।

औसत प्राप्तांक (कुल प्राप्तांक)/ (कुल आवृत्ति)

$$= \frac{\text{प्राप्तांक और तत्सम्बन्धी आवृत्ति का गुणनफल}}{\text{कुल आवृत्ति}}$$

5.4 वैधानिक श्रम कल्याण योजना से सम्बन्धित जानकारियों पर श्रमिकों के अभिमत–इसके अंतर्गत वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में सकारात्मक उत्तरों का प्रतिशत एवं समग्र औसत प्रतिशत का वर्गीकरण,सारणीकरण एवं रेखाचित्रो के माध्यम से दर्शाए गए परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है।

अभिमत	पूर्णतः संतुष्ट	संतुष्ट	अनिश्चित	असंतुष्ट	पूर्णतः संतुष्ट
प्राप्तांक	5	4	3	2	1

तालिका क्रमांक 5.4.1

वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अन्तर्गत सुविधाओं के बारे में प्रतिदर्शित श्रमिकों की जागरूकता

क्रमांक	प्रदत्त सुविधा के प्रकार	कथित सुविधा के बारे में श्रमिकों की जागरूकता का प्रतिशत
1.	धुलाई की सुविधाएं	72.8
2.	वस्त्रों के संचयन तथा सुखाने के लिए सुविधाएं	72.8
3.	बैठने की सुविधाएं	81.1
4.	प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सुविधाएं	80.0
5.	कैण्टीन की सुविधा	53.9
6.	विश्राम स्थल, आश्रय स्थल और भोजन कक्ष की सुविधाएं	68.8
7.	श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की सुविधा	76.7
	जागरूकता का समग्र औसत प्रतिशत	72.3

तालिका क्रमांक 5.4.2 (A) वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं से संतुष्टि का समग्र भारित सूचकांक

क्र.	वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रदत्त सुविधाओं के प्रकार	पंचअंकीय माप पर संतुष्टि का औसत प्राप्तांक (mi)	भार (अनुपात) (wi)	(mi) x (wi)
1.	धुलाई की सुविधाएं	4.58	0.78	3.5724
2.	वस्त्रों के संचयन तथा सुखाने के लिए सुविधाएं	4.71	0.79	3.7209
3.	बैठने की सुविधाएं	4.71	0.75	3.5325
4.	प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सुविधाएं	4.04	0.56	2.2624
5.	कैण्टीन की सुविधा	4.56	0.74	3.2021
6.	विश्राम स्थल, आश्रय स्थल और भोन कक्ष की सुविधाएं	4.51	0.71	3.2021
7.	श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की सुविधा	4.51	0.71	3.204
सूत्र (ए) के उपयोग से, ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत विविध सुविधाओं के बारे में श्रमिकों के संतुष्टि का समग्र भारित सूचकांक				4.5684

तलिका क्रमांक 5.4.2 (B) वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं से श्रमिकों का पूर्णतः संतुष्टि की तुलना

क्र.	प्रदत्त सुविधा के प्रकार	पूर्णतः संतुष्ट श्रमिकों का प्रतिशत
1.	धुलाई की सुविधाएं	80
2.	वस्त्रों के संचयन तथा सुखाने के लिए सुविधाएं	87
3.	बैठने की सुविधाएं	87
4.	प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सुविधाएं	46
5.	कैण्टीन की सुविधा	79
6.	विश्राम स्थल, आश्रय स्थल और भोजन कक्ष की सुविधाएं	78
7.	श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की सुविधा	75
सूत्र (ए) के उपयोग से, वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत विविध सुविधाओं के बारे में श्रमिकों के संतुष्टि का समग्र भारित सूचकांक		4.5367

5.5 ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना से सम्बन्धित जानकारियों पर श्रमिकों के अभिमत —इस भाग में ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं से सम्बन्धित संग्रहित आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण व रेखाचित्रों को निम्नानुसार प्रदर्शित करते हुए, प्राप्त परिणामों का विश्लेषण व व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

6. अंतिम विश्लेषण —पूर्व से प्राप्त परिणामों को समग्र रूप में अंतिम विश्लेषण करने के उपरान्त निष्कर्ष प्राप्त किया

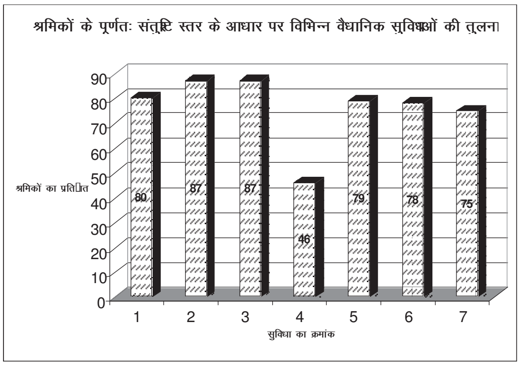

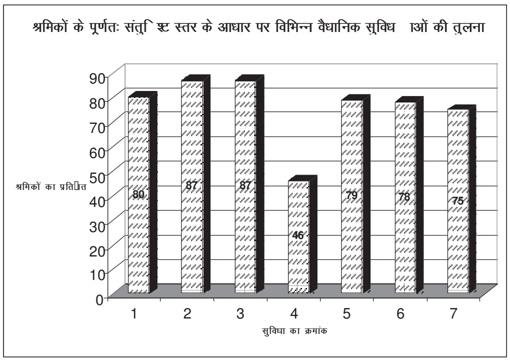

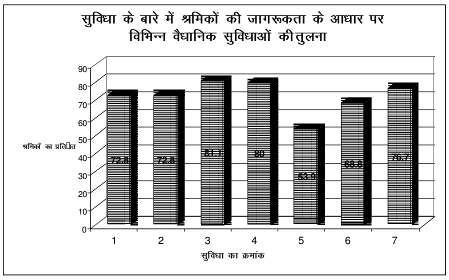

गया है। साथ ही शोध की सीमाओं एवं भविष्य की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। समग्र के अन्तिम विश्लेषण हेतु निम्न बिन्दुओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। (i) श्रम कल्याण सुविधाओं के सम्बन्ध में लोहा उद्योग की तीनों चयनित इकाइयो में कार्यरत श्रमिकों की चैतन्यता का स्तर । (ii) समग्र निदर्शित श्रमिकों को प्रदत्त सुविधाओं के सम्बन्ध में सकारात्मक उत्तरों का औसत प्राप्ताँक । (iii) समग्र संतुष्टि ज्ञात करने हेतु पंच अंकीय मापन पर समग्र का प्राप्तांक । (iv) अन्त में उपकल्पना का परीक्षण । पूर्व में (तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या) में वैधानिक एवं ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधाओं से तीनो

तालिका क्रमांक 5.5.1 (A) ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं से संतुष्टि का समग्र भारित सूचकांक

क्र.	ऐच्छिक श्रम योजना के अंतर्गत श्रमिकों के प्रदत्त सुविधाओं के प्रकार	पंच अंकीय माप पर संतुष्टि का औसत प्राप्तांक (mi)	भार (अनुपात) (wi)	(mi)x(wi)
1.	बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा	4.46	0.73	3.2558
2.	आवास की सुविधा	4.52	0.77	3.4804
3.	चिकित्सा की सुविधा	4.61	0.81	3.7341
4.	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार की सुविधा	4.61	0.83	3.8263
5.	मनोरंजन की सुविधा	4.58	0.82	3.7556
6.	यातायात की सुविधा	4.57	0.79	3.6103
7.	शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा	4.52	0.58	2.6216
8.	स्वास्थ्य की सुविधा	4.53	0.73	3.3069
9.	सुरक्षा की सुविधा	4.69	0.77	3.6113

ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सुविध ाओं से श्रमिकों का पूर्णतः संतुश्टि की तुलना

क्र.	प्रदत्त सुविधा के प्रकार	पूर्णतः संतुष्ट श्रमिकों का प्रतिशत
1.	बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा	73
2.	आवास की सुविधा	80
3.	चिकित्सा की सुविधा	81
4.	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार की सुविधा	85
5.	मनोरंजन की सुविधा	79
6.	यातायात की सुविधा	83
7.	शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा	78
8.	स्वास्थ्य की सुविधा	80
9.	सुरक्षा की सुविधा	85

इकाइयों के प्रतिदर्शित श्रमिकों के सकारात्मक उत्तरों का समग्र औसत प्राप्तांक को तालिका (A) व संतुष्टि को तालिका (B) में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कुल प्रतिदर्शित श्रमिकों (180 श्रमिकों) को समग्र/संयुक्त निदर्शन के वितरण को भी प्रस्तुत किया गया है। समग्र निदर्शित श्रमिकों के प्राप्तांको को सांख्यिकीय विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों को अधिक उपयुक्त बनाने हेतु अन्तिम विश्लेषण के रूप में उनके भारित सूचकांक की गणना निम्नानुसार की गई है। उपरोक्त उद्देश्यों के अध्ययन हेतु प्रथमतः श्रमिकों को प्रदत्त वैधानिक एवं ऐच्छिक श्रम कल्याण सुविधाओं से प्रतिदर्शित श्रमिकों के संतुष्टि का समग्र भारित सूचकांक के द्वारा प्रदर्शित करते हुए उनकी पृथक–पृथक गणना की गई है। संयुक्त/समग्र भारित सूचकांक की गणना हेतु एक सारणी में संयंत्रों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदत्त श्रम कल्याण सुविधाओं को सूचीबद्ध किया गया है और तालिका (B) से प्राप्त प्रतिदर्शित श्रमिको के संतुष्टि स्तर के औसत प्राप्तांक को संकेत Mi द्वारा दर्शाया गया है और उक्त औसत प्राप्तांक को संकेत Wi से भारित किया गया है। वर्णित श्रम कल्याण सुविधाओं पर श्रमिको के सकारात्मक उत्तरो के लिए संयुक्त/समग्र औसत अनुपात को तत्सम्बन्धी तालिका (A) का उपयोग करते हुए प्राप्त किया गया है।

भारित सूचकांक = (Mi x Wi ½ ... (a)
(Wi)

जहॉMi–पूर्ववर्ती तालिका (B) में दर्शित सुविधाओं से संतुष्टि स्तर का औसत प्राप्तांक ।

Wi– वर्णित सुविधाओंपर श्रमिकों के सकारात्मक उत्तरों का संयुक्त औसत अनुपात इस प्रकार उपरोक्त सूत्र का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ।

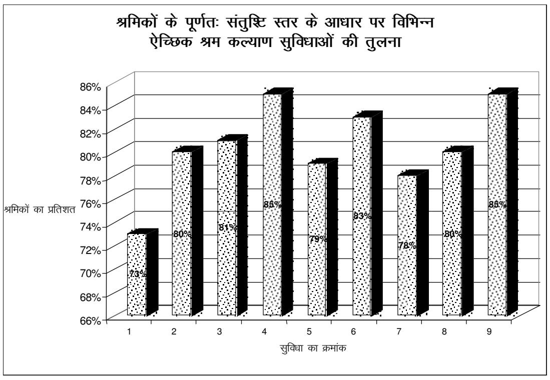

7. निष्कर्ष –(i) वैधानिक श्रम कल्याण योजना के बारे में कुल प्रतिदर्शित श्रमिको की चैतन्यता का समग्र औसत प्रतिशत 72 है, जो बहुत अच्छा है और संतोषजनक है।

(ii) सामान्यतः 70 से 80 प्रतिशत श्रमिक वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं और इन सुविधाओं से श्रमिकों का संतुष्टि स्तर का औसत प्राप्तांक पंच अंकीय माप पर 4.54 है। यद्यपि प्रथमोपचार के उपकरण एवं सुविधाओं पर पूर्णतः संतुष्ट श्रमिकों का प्रतिशत 50 से कम होने के साथ–साथ संतुष्टि का औसत प्राप्तांक भी तुलनात्मक रूप से कम है ।

(iii) ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं के विश्लेषण में लगभग 70 से 80 प्रतिशत श्रमिक इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट है और इस सुविधाओं से श्रमिकों का संतुष्टि का औसत प्राप्तांक पंच अंकीय माप पर 4.57 है। यद्यपि शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा पर श्रमिको के सकारात्मक उत्तरों का समग्र औसत प्रतिशत 57.8 है, जो बहुत कम है ।

(iv) वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सभी सुविधाओं (प्रथमोपचार के उपकरण एवं सुविधाएँ को छोड़कर) से कुल 180 प्रतिदर्शित श्रमिकों में से 75 प्रतिशत से अधिक श्रमिक पूर्णतः संतुष्ट है।

(v) महत्वपूर्ण तथ्य है, कि कुल 180 प्रतिदर्शित श्रमिकों में से 73 प्रतिशत से अधिक श्रमिक ऐच्छिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सभी सुविधाओं से पूर्णतः संतुष्ट है।

(vi) वैधानिक श्रम कल्याण योजना से श्रमिकों का संतुष्टि का समग्र भारित सूचकांक पंच अंकीय माप पर 4.54 है। पुनश्च, (4.54/5)x100=90.8 प्रतिशत अर्थात् लगभग 91 प्रतिशत श्रमिक वैधानिक श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट है।

(7) ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं से श्रमिकों का संतुष्टि स्तर का समग्र भारित सूचकांक पंच अंकीय माप पर 4.57 है। पुनश्च, (4.57/5 x 100 =91.4 प्रतिशत अर्थात् लगभग 91 प्रतिशत श्रमिक ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं। इस तरह कथित उद्देश्यों के अध्ययन के दृष्टिकोण से हम ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है, कि बिलासपुर एवं रायपुर जिलोंके संदर्भ में लोहा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का 72 प्रतिशत श्रमिक वैधानिक श्रम कल्याण योजना के बारे में जागरूक है और बिलासपुर एवं रायपुर जिलों के लोहा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का 70 प्रतिशत से अधिक श्रमिक वैधानिक एवं ऐच्छिक श्रम कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं से पूर्णतः संतुष्ट है। इससे स्पष्ट होता है, कि अध्ययन की उपकल्पना पूर्णतः सत्य है। इस तरह हमने अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है। बिलासपुर एवं रायपुर जिले के लोहा उद्योगों में प्रदान की गई श्रम कल्याण सुविधाओं से श्रमिक पूर्णतः संतुष्ट हैं। बिलासपुर एवं रायपुर जिले प्रदेश के प्रमुख जिले हैं। लोहा की अधिकतर इकाइयां इन्हीं जिलों में स्थापित है, जो प्रदेश के लोहा उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती है।

8. सुझाव –शोधकर्ता द्वारा किए गए तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात् प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है।

(i) निष्कर्षो से ज्ञात हुआ है, कि अन्तर्वस्तुओ से युक्त प्रथमोपचार पेटियों की देख–रेख करने वाले व्यक्तियों के नाम व पता की जानकारियों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। अतः नियोजकों द्वारा प्रथमोपचार पेटियों की देख रेख करने वाले व्यक्तियों के नाम व पता को श्रम कल्याण अधिकारी व श्रम संघों के कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिक इस सुविधा का लाभ उठा सके।

(ii) प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार अधिकांश श्रमिकों का मत है, कि संयंत्र में एम्बुलेंस कक्ष नहीं है और न ही रख–रखाव ठीक ढ़ंग से होता है। इसीलिये नियोजकों का यह वैधानिक दायित्व है। कि संयंत्र में एम्बुलेंस कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए और एम्बुलेंस कक्ष के मुख्य द्वार पर डॉक्टर का नाम, पता दूरभाष क्रमांक, चिकित्सालय का पता को सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के साथ साथ एम्बुलेंस का रख रखाव विधि सम्मत किया जाना चाहिए।

(iii) निष्कर्षो के आधार पर ज्ञात हुआ है, कि कैण्टीन की सुविधा की प्रदायता के सम्बन्ध में जागरूकता का अभाव पाया गया। अतः नियोजकों एवं श्रमिक संघो द्वारा श्रमिकों को वैधानिक श्रम कल्याण सुविधाओं के बारे में समय समय पर जानकारी दी जानी चाहिए तथा कारखाना अधिनियम व नियम के सारांश को बहुसंख्यक श्रमिकों की भाषा में सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(iv) निष्कर्षो से ज्ञात होता है, कि कैण्टीन की स्वच्छता व रख रखाव सही ढ़ंग से नहीं होता है। अतः नियोजको एवं कैण्टीन प्रबंधन समिति द्वारा कैण्टीन का रख रखाव व संचालन सही ढ़ंग से किया जाना चाहिए एवं कैण्टीन में उपलब्ध खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच समय समय पर की जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय समय पर कैण्टीन का निरीक्षण कर, कैण्टीन व्यवस्था में पाई गई त्रुटियों को सुधारने हेतु उचित निर्देश दिया जाना चाहिए।

(v) इस अध्ययन को आधार मानते हुए भविष्य में लोहा एवं इस्पात के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

(vi) छत्तीसगढ़ लोहा एवं इस्पात उद्योगों में प्रभावशील श्रम कल्याण सुविधाओं से श्रमिकों के संतुष्टि का उत्पादकता, गुणवत्ता व कार्यतोष पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल जी.के., 'सामाजिक शोध', आगरा बुक डिपो, आगरा, उ.प्र. 2. गुप्ता रघुराज, 'भारत में समाज कल्याण और सुरक्षा', किताब महल, इलाहाबाद, उ.प्र, 3. हेलन जी. सी., 'श्रम कल्याण एवं सुरक्षा' जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ उ.प्र. 4. जारोली उदयलाल, 'औद्योगिक एवं श्रम विधि', दी लायर्स होम, इन्दौर, म.प्र. 5. जैन आर.के. एवं जैन जी.के., 'सांख्यिकी', सूर्या प्रकाशन, म.मा. मार्ग, इन्दौर, म.प्र. 6. K.N. Vaid, 'Labour welfare in India', Shri Ram centre for industrial relation, New Delhi. 7. Moorti, M.B., Principles of Labour Welfare, Gupta Brothers, Vishkhapattanam , A.P. 8. सक्सेना आर.सी., 'श्रम समस्याएं एवं कल्याण', जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, पुस्तक प्रकाशन, मेरठ उ.प्र. (1981) 9. सक्सेना के.बी., 'श्रम सन्नियम एवं सामाजिक सुरक्षा', रमेश बुक डिपो जयपुर, राजस्थान 10. सिंह सुरेन्द्र, 'सामाजिक अनुसंधान', उत्तरप्रदेष हिन्दी अकादमी, लखनऊ, उ.प्र. 11. शर्मा रमेशचन्द्र, 'सांख्यिकी के सिद्धांत', राजीव प्रकाशन मेरठ, उ.प्र. 12. त्रिपाठी जे.नारायन,'श्रम सामाजिक कल्याण और सुरक्षा', किताब घर, आचार्य नगर कानपुर, उ.प्र. 13. डॉ. के. के. सिंह (स्वयं) के शोध ग्रंथ (वर्ष 2007) ''छत्तीसगढ़ के लोहा एवं इस्पात उद्योग में श्रम कल्याण योजनायें एवं श्रमिकों की संतुष्टि स्तर'' (बिलासपुर एवं रायपुर जिले के विषेष संदर्भ में) से तथ्य, सूचनायें एवं जानकारियां ली गई है